भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3675
दिनांक 17 दिसम्बर, 2024/ 26 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

त्रिपुरा में मानव दुर्व्यापार के मामले

†3675. श्री बिप्लब कुमार देबः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान त्रिपुरा राज्य में मानव दुर्व्यापार के कितने मामले दर्ज किए गए हैं और उक्त मामलों में कितने भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक शामिल हैं;
(ख) उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया; और
(ग) देश में मानव दुर्व्यापार को रोकने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) और (ख): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा उसे सूचित किए गए अपराध संबंधी आंकड़ों को संकलित करता है और इन्हें अपने वार्षिक प्रकाशन 'क्राइम इन इंडिया' में प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2022 की है। वर्ष 2021 और 2022 के दौरान त्रिपुरा राज्य में मानव दुर्व्यापार के तहत दर्ज किए गए मामलों और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का ब्यौरा निम्नवत है:

वर्ष	दर्ज मामले	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति
2021	1	1
2022	0	0

ऐसे मामलों में शामिल भारतीय नागरिकों/विदेशी नागरिकों की संख्या के संबंध में विशिष्ट जानकारी अलग से नहीं रखी जाती है।

(ग): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य-सूची के विषय हैं। अतः मानव दुर्व्यापार के अपराध को रोकने और उससे निपटने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है, जो कानून के मौजूदा प्रावधानों के तहत ऐसे अपराधों से निपटने में सक्षम हैं।

तथापि, भारत सरकार भी समय-समय पर विभिन्न एडवाइजरी जारी करके मानव दुर्व्यापार के अपराध को रोकने और उससे निपटने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करके इस संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करती है। मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी जिलों में मानव दुर्व्यापार रोधी इकाइयों (एएचटीयू) को उन्नत/स्थापित करने के लिए, त्रिपुरा राज्य सहित, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की हैं। मानव दुर्व्यापार के मुद्दे का व्यापक और समग्र तरीके से समाधान करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को हर स्तर पर अर्थात् राज्य मुख्यालय के स्तर पर, जिला स्तर और पुलिस स्टेशन स्तर पर एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने के लिए एडवाजरी जारी की गई है। गृह मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मानव दुर्व्यापार के मुद्दे का सकेंद्रित और कुशल तरीके से समाधान करने के लिए नवीनतम पहलों/विकास के बारे में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पुलिस/कानून अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से 'राज्य स्तरीय सम्मेलन' और 'न्यायिक संगोष्ठी' आयोजित करने में भी वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

मानव दुर्व्यापार के सीमा-पार/पारदेशीय मुद्दों का समाधान करने के लिए, भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), कम्बोडिया और म्यांमार जैसे कई देशों के साथ द्विपक्षीय समझौता ज्ञापनों तथा मानव दुर्व्यापार निपटने पर कुछ बहुपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

****